

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-62/2014/588

दिनांक : 23/09/14

-: आदेश :-

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर के पत्र क्रमांक F.7(10)/SIHFW/PDC/Part-VI/14-15/7780-81 दिनांक 17.09.14 के क्रम में (Professional Development Course-XIth Batch at SIHFW) द्वारा दिनांक 08.10.14 से 16.12.14 (10 सप्ताह) तक के कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	डा० विद्या प्रकाश मीना	चि०अ०	सामान्य चिकित्सालय हिण्डोन सिटी (करौली)
2.	डा० महेन्द्र कुमार गुप्ता	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र मालपुरा (टोंक)
3.	डा० अनुराधा भारद्वाज	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र पांचूडाला (जयपुर-प्रथम)
4.	डा० विकास शर्मा	चि०अ० (LR)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम
5.	डा० लक्ष्मण सिंह धाकड़	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र बयाना (भरतपुर)
6.	डा० पी.एस. अरोडा	चि०अ०	सामान्य चिकित्सालय हिण्डोन सिटी (करौली)
7.	डा० वीना मनौचा	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र वैर (भरतपुर)
8.	डा० राजेश शर्मा	चि०अ०	महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाडा
9.	डा० आलोक उपाध्याय	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र हरमाडा (अजमेर)
10.	डा० मोहित कुमार माथुर	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र चान्दोली (अलवर)
11.	डा० मुकेश कुमार गुप्ता	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र खण्डप (बाडमेर)
12.	डा० दिनेश कुमार शर्मा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बागौर (भीलवाडा)
13.	डा० राजेश कुमार मीणा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र तलवास (बून्दी)
14.	डा० महावीर प्रसाद	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र कांकरवा (चित्तौड़गढ़)
15.	डा० राकेश ठाकुरिया	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र तालचिडी (दौसा)
16.	डा० विमल कान्त यादव	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र कुहाडी (जैसलमेर)
17.	डा० प्रकाश गुप्ता	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र ओडवाडा (जालौर)
18.	डा० अशोक कुमार चौधरी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र टीबाबसई (झुन्झुनू)
19.	डा० रामेश्वर लाल	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बीसलपुर (जोधपुर)
20.	डा० हरि राम	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बादु (नागौर)
21.	डा० बासुदेव गुप्ता	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र घंटाली (प्रतापगढ़)
22.	डा० संजय कुमार गुप्ता	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बरार (राजसमन्द)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 08.10.14 को प्रातः 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)ट्रेनिंग (पीएल-2)/आर.एच.एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य

कृ०पृ०उ०

शुभ्रपान स्वास्थ्य के लिए तनिकारक है, जिन्दगी गुनो तम्बाकू नहीं। ☺

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

- नोट : 1. यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।
2. स्थानान्तरण होने की स्थिति में मनोनयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-62/2014/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 7780-81 दिनांक 17.09.14 के क्रम में लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 08.10.14 को प्रातः 09:30 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।